

FROM No.III

फर्च अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत सुडामड इल्लम एन्ड सो. मुकाम वायड

चुनराम बनाम वेनाराम

किस्म मुकदमा वा.सं. 111,128 एलएलएन 176/21 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/05/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>वेनाराम जाल्वड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 एलएलए</u> राजस्थान कारतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16/08/2021</u> को पेश हो।</p>	
16/08/2021	<p>प्रार्थी वकील उपरि-पत्र/विप्रार्थी जो नोटिस तामिल हुकम तामिल किया पत्र / इन्तजाह टोडर पत्रावली दिनांक 20/10/2021 को पेश हो।</p>	<p>साहायक कलक्टर (300) वायड</p>
20/10/2021	<p>प्रार्थी वकील उपरि-पत्र/विप्रार्थी के नोटिस रजि में तामिल हुकम अफ हो चुके है जिसे तामिल पत्रावली कि अफ/ विप्रार्थी/वादी वाकजुड तामिल प्रेरुअपदिपत/ मीमन पीठावलीन अधिकारी प्रशासन जो नोटिस का अतिमान-2021 हुकमों के अन्तर्गत हमें ले मिशाल इल्लम टोडर किलामी दिनांक 28/10/2021 को पेश हो।</p>	<p>साहायक कलक्टर (300) वायड</p>


28/02/2022

शुभ्री पशील उपस्थित। विज्ञापित बाव-
जुड लामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन
बार मावाज लगाई गई मंगलम कोवाज 5:45
PM पर लगाई गई विज्ञापित स्थान या उनही
मोर में कोई अधिकार उपस्थित नहीं हुआ लिखा
विज्ञापितों के विरुद्ध एडवोकेट डा. श्री. श्री. कमल श्री
साई जाली ही है। पाल्ते हादस पमावली दिनांक
08/03/2022 को पैसा ही/म

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायलु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p>	


 सहायक कलक्टर
 (SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 115

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 08/03/2022
विप्रार्थीगण

1. चुतराराम पुत्र नन्दराम वगैरा 25
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. वेहनाराम पुत्र उदाराम वगैरा 76
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 176 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 312, 352/312, 254 रकबा क्रमशः 25.0419, 5.4228, 43.2770 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक / वाद / 2022 / 116 to 120

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चुतराराम पुत्र नन्दराम वगैरा 25
4. विप्रार्थी श्री वेहनाराम पुत्र उदाराम वगैरा 76
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) गिड़ा
दिनांक: 08/03/2022

(उपखण्ड अधिकारी बायतु)
(SDO) गिड़ा